HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Application No. 64/2026

Yadram S/o Shri Dev Baksh, Aged About 65 Years, R/o Nagla Lodha, Bharatpur, Tehsil And District Bharatpur, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. Tikam Chand S/o Shri Dev Baksh, Aged About 75 Years, Resident Of Nagla Lodha, Bharatpur, Tehsil And District Bharatpur, Rajasthan.
2. Khem Chand S/o Shri Dev Baksh, Aged About 80 Years, Resident Of Nagla Lodha, Bharatpur, Tehsil And District Bharatpur, Rajasthan.
3. Kanta W/o Shri Novat Singh, R/o Pahadiya Mohalla, Nadbai, Tehsil Nadbai District Bharatpur, (Rajasthan)
4. Shanti @ Somoti W/o Shri Vasantlal, Aged About 68 Years, R/o Pahadiya Mohalla, Nadbai, Tehsil Nadbai District Bharatpur, (Rajasthan)
5. Bhagwati W/o Shri Amar Singh, Aged About 60 Years, R/o Kayastha Mohalla, Nagar, Tehsil Nagar, District Deeg, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Brij Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. J. K. Moolchandani, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

29/04/2026

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान आवेदन के माध्यम से निवेदन किया गया कि एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या–3293/2025 को कथित रूप से अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा राजीनामा होना बताकर वापस लिये जाने का कथन किया गया था और उसके आधार पर दिनांक 05.02.2026 को अपील निस्तारित हुई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी श्री बृज शर्मा का निवेदन है कि वस्तुतः दिनांक 05.02.2026 को वे उपस्थित नही थे, उनके साथी अधिवक्ता उपस्थित थे, साथी अधिवक्ता को सही रूप से सूचित नहीं था और इस आधार पर अपील वापस ली गई, जबकि वे गुण–दोषों पर अपील को चलाना चाहते थे और इस परिस्थिति में दिनांक 05.02.2026 के आदेश को रिकॉल किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि अधिवक्ता श्री बृज शर्मा उस दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं थे, उनके साथी अधिवक्ता उपस्थित थे, परंतु इसके बावजूद उपरोक्त आदेश को रिकॉल किये जाने का विरोध किया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 05.02.2026 को पारित आदेश को रिकॉल किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या–3293/2025 को सुनवाई हेतु नियमानुसार सूचीबद्ध की जावे।

इसी अनुसार यह आवेदन स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /02